अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डा0 बी0बी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्याः 1575/789/ज.जी.क्र./ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 14, दिसम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद पन्त)
तकनीकी विशेषज्ञ

3.4 शासनादेश सं0 217/उन्तीस(2)/17–2(71 पे0)/2015 दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा राज्य सेक्टर नगरीय योजना के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत बिछाई गयी नई सीवर लाईन पर पुराने सीवर संयोजन की शिफ्टिंग तथा नये सीवर संयोजन सुधारात्मक कार्यों हेतु रू0 457.30 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 182.92 लाख (रू0 एक करोड़ बयासी लाख बयानवे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किया गया। कार्यदायी संस्था पेयजल निगम मसूरी वर्ष 2018 से वर्ष 2021 के अनतर्गत इस शासनादेश के सापेक्ष कुल 605 नव सीवर कनेक्शन शिफ्टिंग पुरानी लाईन से/नई सीवर लाईन पर सीवर संयोजन का कार्य सम्पादित किया गया।

3.5 इस योजना से वर्ष 2014 के आधार पर कुल 44678 स्थाई जनसंख्या एवं लगभग 41917 अस्थाई (पर्यटक) को सम्मिलित कर कुल 86595 जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2044 (डिजाइन अवधि) तक स्थाई–73073 एवं अस्थाई–454010 इस प्रकार कुल 127083 की जनसंख्या लाभान्वित हो सकेगी।

3.6 इस योजना में प्रस्तावित कार्यो का समय से पूर्ण न होना, दरों में वृद्धि होने तथा विभिन्न विभागों से अनापत्तियों प्राप्त न होने, धनराशि समय से अवमुक्त न होने के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :–

A. इस योजना का मूल प्राक्कलन वर्ष 2007–08 में गठित किया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग की वर्ष 2011 की दरों के आधार भुगतान लिये जाने के कारण दरों में वृद्धि होना दर्शाया गया है।

B. इस योजना के संशोधित प्राक्कलन में मसूरी नगर के छूटे हुए क्षेत्रों एवं विस्तारित क्षेत्रों को सम्मलित किये जाने के कारण लगभग 12.66 कि0मी0 सीवर लाइन की लम्बाई में वृद्धि होना दर्शाया गया है जिससे आगणन में वृद्धि हुई है।

C. योजना में मूल आगणन में 10 एस0टी0पी0 (कुल क्षमता 9.63 एम0एल0डी0) के निर्माण हेतु कुल प्राविधानिक राशि रू0 3419.98 लाख के सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में केवल रू0 1445.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करने तथा निविदा में इन कार्यो के सापेक्ष आंगणित धनराशि में लगभग 35–57 प्रतिशत अधिक दरें प्राप्त होने पर कार्य कराने से अधिक व्यय होना दर्शाया गया है।

D. योजना के कार्यो में कुल 10 एस0टी0पी0 के निर्माण का प्राविधान था जिसमें से 03 एस0टी0पी0 हेतु चयनित भूमि वन विभाग से हस्तान्तरित न होने तथा 02 एस0टी0पी0 पर कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण वर्तमान में पुनरीक्षित आगणन में इन कार्यो को वर्तमान दरों पर पूर्ण कराये जाने हेतु अधिक व्यय होना दर्शाया गया है।

E. योजना के मूल आगणन में घरेलू, अनावासीय एवं व्यवसायिक सीवर संयोजनों की संख्या में वृद्धि होने एवं दरों में बढोत्तरी होने के कारण पुनरीक्षित आगणन में वृद्धि होना दर्शाया गया है।

F. इस योजना हेतु पूर्व में रू0 6173.25 लाख तथा सडक/मार्ग के पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एस0पी0ए0 मद से रू0 100.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि

क्रमशः पृष्ठ–4/–

2. **<u>योजना प्राविधान</u>** :– इस प्रस्तावित योजना में प्रस्तावित कार्यो, पूर्ण हो चुके कार्यो तथा अवशेष कार्यो का विवरण निम्नवत् दिया गया है :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	पूर्व प्रस्तावित मात्रा	पूर्ण की गयी मात्रा	वर्तमान पुनरीक्षित मात्रा	अवशेष कार्य
1	सीवर लाइन	63.89 कि0मी0	65.75 कि0मी0	76.30 कि0मी0	10.55 कि0मी0
2	एस0टी0पी0 निर्माण	10 संख्या (10.57 MLD)	05 संख्या (7.32 MLD)	10 संख्या	05 संख्या (3.25 MLD)
3	घरेलू सीवर संयोजन का कार्य	998 संख्या	520 संख्या	4094 संख्या	3574 संख्या
4	अनावासीय/व्यवसायिक सीवर संयोजन का कार्य	657 संख्या	50 संख्या	1971 संख्या	1921 संख्या
5	पुरानी लाइन से नये सीवर लाइन पर घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शन के शिफ्टिंग का कार्य	605 संख्या	605 संख्या	–	–

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

3.1 योजना की विभागीय समिति की बैठक सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजना को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सस्तुति की गयी।

3.2 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 तक कुल रू0 6173.25 लाख एवं शासनादेश संख्या–1478/2016 दिनांक 12 जून, 2016 के द्वारा रू0 1361.24 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, इस प्रकार वर्ष 2018–19 तक कुल रू0 6273.25 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी थी।

3.3 प्रस्तावित योजना के कार्यो में वर्ष 2013 तक कुल प्रस्तावित सीवर लाइन 63.89 कि0मी0 के सापेक्ष 65.75 कि0मी0 पूर्ण किया तथा कुल प्रस्तावित 10 एस0टी0पी0 के सापेक्ष 5 एस0टी0पी0 पूर्ण किये गये एवं शेष 5 एस0टी0पी0 एवं अवशेष कार्य वन्य जीव क्षेत्र के अन्तर्गत आने के कारण पूर्ण नहीं हो सके थे।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

3.8 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में रू0 280.77 लाख की कटौती प्रस्तावित की गयी हैं।

4. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय** :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित प्रस्ताव लागत सार–3.7 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि** रू0 10306.23 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

4.1 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4.2 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

4.3 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

4.4 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।

4.5 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4.6 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

4.7 कार्य का तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।

4.8 इस परियोजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार अनुमोदित धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग करते हुए मसूरी सीवरेज योजना (पुनरीक्षित) को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। योजना का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 4.1–4.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–6/–

रू0 6273.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में प्रस्तावित पुनरीक्षित आगणन रू0 10306.23 लाख के अनुसार कार्यो को पूर्ण कराने हेतु रू0 4032.98 लाख की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी होगी।

G. योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु पेयजल निगम द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन में कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु 02 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गयी है तथा अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने एवं देयता हेतु प्रथम चरण में रू0 1961.03 लाख एवं द्वितीय चरण रू0 1695.52 लाख की आवश्यकता दर्शायी गयी है तथा सेन्टेज चार्ज के रूप में रू0 376.43 लाख की देयता को सम्मलित कर कुल रू0 4032.98 लाख की मांग की गयी है।

H. योजना के अवशेष/अधूरे कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु एस0पी0ए0 मद से भारत सरकार द्वारा रू0 1301.75 लाख की प्राप्ति होने पर राज्य सरकार पर केवल रू0 2731.23 लाख ही वहन किये जाने की सूचना दी गयी है।

3.7 प्रस्तावित योजना रू0 10587.00 लाख के कार्यो को टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी पुनरीक्षित लागत का विवरण निम्नानुसार है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Description	Amount of work to be executed	Work done	Total
	Total Cost of work	3553.87	5897.24	945.11
	Cost index on DSR 2016 for mussoorie	61.02	-	61.02
	Sub total	**3614.89**	**5897.24**	**9512.13**
	Contingencies	37.11	177.11	214.22
	Sub Total	**3652.00**	**6074.35**	**9726.35**
	Add GST@12% on SI Item	105.54	-	105.54
	Add Centage	376.44	-	376.44
	Add labour cess @1% on DSR item	3.57	-	3.57
	Sub Total	**4137.55**	**6074.35**	**10211.90**
	Provision / Expenditure for forest charges	14.13	80.20	94.33
	Grand Total	**4151.68**	**6154.55**	**10306.23**

परियोजना की कुल लागत :– रू0 10306.23 लाख

क्रमशः पृष्ठ–5/–

पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मसूरी सीवरेज योजना (पुनरीक्षित) के अवशेष निर्माण कार्य के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ0 बी0बी0आर0 पुरूषोत्तम, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री उदय राज सिंह, एम0डी0, जल निगम, उत्तराखण्ड।
4. श्री नितिन भदौरिया, अपर सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एस0के0 शर्मा, सी0जी0एम0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री एच0के0 पाण्डेय, सलाहकार (अभि0), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. श्री एस0सी0 पन्त, मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. श्री के0के0 रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
11. श्री संजय सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी गढवाल।

कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य :– मसूरी सीवरेज योजना हेतु पेयजल विभाग द्वारा JNNRUM के अन्तर्गत वर्ष 2009 में कुल रू0 9486.02 लाख का आगणन गठित किया गया था जिसके सापेक्ष एस0एल0एस0सी0 द्वारा रू0 6173.25 लाख के व्यय को औचित्यपूर्ण मानते हुए केन्द्र सरकार से योजना पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 2469.30 लाख एवं द्वितीय किस्त के रूप में रू0 3086.62 लाख इस प्रकार कुल रू0 5555.92 लाख (90 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 617.33 लाख (10 प्रतिशत) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। मसूरी सीवरेज योजनान्तर्गत सडक/मार्गो के पुनर्निर्माण तथा अधूरे निर्माण कार्यो/योजनाओं को पूर्ण करने हेतु विशेष सहायता मद से वर्ष 2018 में रू0 1301.75 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस प्रकार इस योजना की पुनरीक्षित लागत रू0 6173.25 लाख से बढकर रू0 7475.00 लाख हो गयी, का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। पुनः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–398/2018 के क्रम में सहसपुर विकास खण्ड की मसूरी सीवरेज योजना में नगर में हो रहे विस्तार तथा सीवर सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को भी सम्मलित कर, तथा पूर्व आगणन के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु प्र0वि0 द्वारा इस योजना की कुल पुनरीक्षित लागत रू0 10577.00 लाख का आंकलन गठित किया गया है।

क्रमशः पृष्ठ–2/–